



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 687]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937

No. 687]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015/CHAITRA 11, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2015

**का. आ. 917(अ).**- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 3039(अ) दिनांक 02.12.2014 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के पूर्व संपन्न अथवा करने से पूर्व हटाये गये कार्यों को छोड़कर, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एतद्वारा परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला के लिए नीचे की तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित निम्नलिखित प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियम के खंड 47 के अंतर्गत लिए गये खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण हेतु अधिसूचित करता है :-

तालिका

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
<b>ख</b>	<b>पश्चिम क्षेत्र</b>	
<b>महाराष्ट्र</b>		
13.	<b>फूड हाइजीन और हेल्थ लैबोरेटरी, पुणे</b> पंजीकरण संख्या 10/W/FSSAI/2014 ए- 512/513, चतुर्थ तल, मेगा सेंटर, मागरपट्टा, सोलापुर रोड, हडपसर, पुणे-411028	रासायनिक जैविक

2. पूर्वोक्त वर्णित प्रयोगशालाओं की मान्यता और वैधता का प्रशासन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों या आदेशों द्वारा होगा।

[फा. सं.11/202/लैव आरईसी/क्यूए/एफएसएसएआई/2014]

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2015

**S.O. 917(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and in supersession of the Ministry of Health and family Welfare, Food Safety and Standards Authority of India notification number S.O. 3039(E), dated the 2nd December, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 2nd December, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following laboratories accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories specified in column (2) of the Table below for the purposes of carrying out analysis of food samples taken under Section 47 of the said Act, namely:—

**TABLE**

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
<b>B.</b>	<b>WESTERN REGION</b>	
<i>Maharashtra</i>		
1.	Food Hygiene and Health Laboratory, Pune Reg. No. 10/W/FSSAI/2014 A-512/513, Fourth Floor, Mega Centre, Magarpatta, Solapur Road, Hadapsar, Pune-411028.	Chemical Biological

2. The recognition and validity of above mentioned laboratories shall be governed by the guidelines or orders issued by the Food Safety and Standards Authority of India from time to time.

[F. No. 11/202/LAB REC/QA/FSSAI/2014]

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer